परिपत्र संख्या 03/2016

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(43)जन/2015/पार्ट–I/ 11964 दिनांक : 07-09-2016

–: परिपत्र :–

विषय : राजस्थान कृषि–साख प्रचालन (कठिनाईयाँ निराकरण) अधिनियम, 1974 की धारा–2 के उपखण्ड (क) में दी गई कृषि प्रयोजनार्थ परिभाषा के परिपेक्ष में मुद्रांक शुल्क के संबंध में।

राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ.2(23)एफडी/टैक्स डीवी/97–112 दिनांक 27.11.98 जारी कर राजस्थान कृषि–साख प्रचालन (कठिनाईया, निराकरण) अधिनियम, 1974 की धारा–2 के उप–खण्ड (क) में परिभाषित कृषि प्रयोजनों के लिये बैंकों द्वारा काश्तकार को दिये जाने वाले ऋण की जमानत के संबंध में निष्पादित निम्नलिखित दस्तावेजों को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया है :–

1. Affidavit
2. Agreement deed
3. Guarantee deed
4. Mortgage deed
5. Hypothecation deed
6. Hypothecation cum Guarantee deed
7. Letter of continuous and any other document (including Affirmation or declaration in the case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing)

राजस्थान कृषि–साख प्रचालन (कठिनाईया निराकरण) अधिनियम, 1974 की धारा–2 के उप–खण्ड (क) में निम्नलिखित कार्यों को कृषि कार्य माना गया है :–

1. भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य।	10. बीज उत्पादन।
2. कृषि कार्य।	11. मछली पालन।
3. भूमि के सुधार के साथ–साथ सिचांई के साधनों का विकास करना।	12. मधुमक्खी पालन।
4. भू–संरक्षण।	13. रेशम उत्पादन।
5. फसलो को काटना व सुरक्षित रखना।	14. सुअर पालन।
6. बागवानी।	15. मुर्गी पालन।
7. वानिकी।	16. कृषि उपज का विपणन।
8. पशुपालन।	17. कृषि उपज का भण्डारण।
9. दुग्ध उत्पादन।	18. कृषि उपज का परिवहन।

अतः भविष्य में बैंकों द्वारा काश्तकारों को कृषि प्रयोजनों के लिये दिये जाने वाले ऋण संबंधी दस्तावेजों में उपरोक्त उल्लेखित कृषि प्रयोजन के लिये ऋण जारी किये जाने के मामलों में ही स्टाम्प ड्यूटी की रियायत दी जावे।

कृषि उपज का परिवहन करने के लिये काश्तकार द्वारा क्रय किये जाने वाले ट्रैक्टर आदि के संबंध में लिये जाने वाले ऋण संबंधी दस्तावेज के साथ इस आशय का शपथ पत्र अवश्य लिया जावे कि उसके द्वारा क्रय किये गये ट्रैक्टर आदि का उपयोग कृषि कार्य हेतु ही किया जायेगा।

इस विषय पर विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.7(299)जन/6204–6637 दिनांक 01.05.2000 (8/2000) एवं समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों को अपास्त किया जाता है।

अतः विभाग के उपरोक्त निर्देशों की सख्ती के साथ पालना सुनिश्चित की जावे।

07-09-2016

(नन्नूमल पहाड़िया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांक : एफ.7(43)जन/2015/पार्ट–I/11965-12730 दिनांक : 07-09-2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. कन्वीनर, स्टेट लेवल बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, एयरपोर्ट प्लाजा, होटल रेडीशन ब्लू के पीछे, दुर्गापुरा, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आप अपने स्तर से अपने सभी सदस्य बैंकों को निर्देश जारी करावें कि कृषि ऋण संबंधी निष्पादित दस्तावेजों में, परिपत्र में दर्शाये गये कृषि प्रयोजनों को स्पष्ट रूप से लिखा जायें, ताकि स्टाम्प ड्यूटी में रियायत के प्रयोजन से उनकी जॉच संभव हो सकें तथा ऐसे दस्तावेजों के पंजीयन में विलम्ब नहीं हो।
9. स्टेट लेवल बैंकर्स समिति, राजस्थान के सभी सदस्य बैंकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक, राजस्थान।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
12. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
13. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
14. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
15. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
16. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
17. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
18. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर